न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 08 सन 2020

अनवान :–

1. गोतम पुत्र मांगेराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रमेश्वरी पुत्री मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. शान्ती पुत्री श्योजीराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. सरबती पुत्री श्योजीराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. सावत्री पुत्री श्योजीराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री श्योजीराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. जसु पुत्र माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7. केसर पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
8. महावीर पुत्र माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
9. श्रवण पुत्र माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
10. सावित्री पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
11. सन्तो पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
12. निर्मला पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
13. शारदा पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
14. मोहन पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. रामप्रतापपुत्र हरकोरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. रामस्वरूप पुत्र हरकोरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. हरिसिह पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. अमरसिह पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. नोरा पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. गोरा पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. ज्याना पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. सोना पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
23. सावित्री पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
24. मन्जू पत्नी मांगेराम पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
25. राजपाल पुत्र मांगेराम पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
26. सुनीता पुत्री मांगेराम पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
27. प्रियंका पुत्री मांगेराम पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
28. सोनादेवी पत्नी सन्तराम पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

29. दिपु पुत्र सन्तराम सन्तराम पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
30. शिशपाल पुत्र सन्तराम पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
31. शेरसिह पुत्र सन्तराम पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 295/369 की कुल 4.0090हैक व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 94/86 की कुल 12.4950हैक मे से 594 हिस्सा भूमि सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज है जो वादी की दादी एवं पिता है। सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीयों के वारिस एवं उनके वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 है जो सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के हकदार है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ,26 ता 31 जो वादी की बहने/बुआ/बुआ के वारिसान अर्थात मृतक सीतादेवी , श्योजीराम , माना , हरकौरी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ,26 ता 31 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पूर्वज सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 है जो विरास्तन से भूमि पाने के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ,26 ता 31 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/चाचा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 32 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 295/369 की कुल 4.0090हैक व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 94/86 की कुल 12.4950हैव मे से 594 हिस्सा भूमि सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज है जो वादी की दादी एवं पिता है। सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीयों के वारिस एवं उनके वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 है जो सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के हकदार है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ,26 ता 31 जो वादी की बहने/बुआ/बुआ के वारिसान अर्थात मृतक सीतादेवी , श्योजीराम , माना , हरकौरी के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ,26 ता 31 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 295/369 की कुल 4.0090हैक व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 94/86 की कुल 12.4950हैव मे से 594 हिस्सा भूमि सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज है जो वादी की दादी एवं पिता है। सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीयों के वारिस एवं उनके वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 है जो सीतादेवी पत्नी मोटाराम , मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के हकदार है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 23, 26 ता 31 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ,26 ता 31 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ,26 ता 31 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 295/369 की कुल 4.0090हैक भूमि सीतादेवी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 25 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हे व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 94/86 की कुल 12.4950हैक मे से 594 हिस्सा भूमि मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 24 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गोतम पुत्र मांगेराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 प्रमेश्वरी पुत्री मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. शान्ती पुत्री श्योजीराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. सरबती पुत्री श्योजीराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. सावत्री पुत्री श्योजीराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री श्योजीराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. जसु पुत्र माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7. केसर पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
8. महावीर पुत्र माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
9. श्रवण पुत्र माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
10. सावित्री पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
11. सन्तो पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
12. निर्मला पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
13. शारदा पुत्री माना पुत्री सीतादेवी जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
14. मोहन पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. रामप्रतापपुत्र हरकोरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. रामस्वरूप पुत्र हरकोरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. हरिसिह पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. अमरसिह पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. नोरा पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. गोरा पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. ज्याना पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. सोना पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
23. सावित्री पुत्री हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
24. मन्जू पत्नी मांगेराम पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
25. राजपाल पुत्र मांगेराम पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
26. सुनीता पुत्री मांगेराम पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
27. प्रियंका पुत्री मांगेराम पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
28. सोनादेवी पत्नी सन्तराम पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

29. दिपु पुत्र सन्तराम सन्तराम पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
30. शिशपाल पुत्र सन्तराम पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
31. शेरसिह पुत्र सन्तराम पुत्र हरकौरी पुत्री सीतादेवी पत्नी मोटाराम जाति नाई निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 08 सन 2020 निर्णय दिनांक– 01/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 295/369 की कुल 4.0090हैक भूमि सीतादेवी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 25 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हे व रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 94/86 की कुल 12.4950हैक मे से 594 हिस्सा भूमि मांगेराम पुत्र श्योजीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 24 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner